उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बीबीवाला बाईपास मार्ग, ऋषिकेश जनपद–देहरादून में परिवहन विभाग की प्रस्तावित ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम गडोल, ईठारना खसरा नम्बर 2336 उपयुक्त है। उक्त वनभूमि 4.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है।

19/3/16

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश रेंज।
वन क्षेत्राधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

तहसीलदार
ऋषिकेश
तहसीलदार
ऋषिकेश

स0सं0परि0अधिकारी
ऋषिकेश।
डा0 अनीता चमोला
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषि

विभाग की ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना।

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला कक्ष सं0–03 में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन (1.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ऋषिकेश) ऋषिकेश की दिनांक 13.02.2015 का कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश, देहरादून	अध्यक्ष
2–	श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश वन प्रभाग	सदस्य
3–	श्री सुरेन्द्र सिंह मनवाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला	सदस्य/सचिव
4–	श्रीमती सरोजनी थपलियाल, बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु (1.02 हे0 आरक्षित वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना/सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुसंशा की गई

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत बीबीवाला, बाईपास मार्ग, ऋषिकेश में ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापान हेतु (1.02 हे0 वन भूमि) वन भूमि का परिवहन विभाग, ऋषिकेश देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–ऋषिकेश उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

[illegible]
[illegible] पंचायत
[illegible]–प्रथम [illegible]
[illegible] डोईवाला (देहरादून)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड, 16/2/2015